भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 460

दिनांक 21.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत

दुर्लभ मृदा स्थायी प्रबंधन योजना

460. **श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्र सरकार ने 'दुर्लभ मृदा स्थायी प्रबंधन' योजना को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार केरल राज्य में आरईपीएम योजना के विकास के लिए राज्य सरकार की पहल का समर्थन करती है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने स्थायी प्रबंधन से जुड़े उत्पादन और विपणन के लिए 'बिक्री संबद्ध संवेदनशील' (एसएलएस) योजना को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की है और यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दुर्लभ मृदा स्थायी प्रबंधन के विकास और उत्पादन के लिए उद्योगों को शुरू करने की कोई समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हां, तो केरल राज्य में ऐसे उद्योग शुरू करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ङ) केरल में प्रस्तावित दुर्लभ मृदा स्थायी प्रबंधन से जुड़े उत्पादन की प्रमुख विशेषताओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 26 नवम्बर, 2025 को 7,280 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु स्कीम को स्वीकृति प्रदान की है। उक्त योजना को दिनांक 15 दिसम्बर, 2025 को अधिसूचित किया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश में 5 लाभार्थियों द्वारा 7 वर्ष की अवधि में, जिसमें 2 वर्ष की परिपक्वता अवधि शामिल है, 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) की एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण क्षमता स्थापित करने का प्रावधान है। यह योजना किसी विशिष्ट क्षेत्र तक सीमित नहीं है और पूरे भारत में आरईपीएम विनिर्माण को समर्थन प्रदान करती है।

*****